कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

मुख्यालय
Headquarters
पंचदीप भवन सी॰आई॰जी रोड , नई दिल्ली-110002
PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G. MARG, NEW DELHI-110 002
Phone: 011-23604700 Email : dir-gen@esic.nic.in
Website : www.esic.nic.in / www.esic.in

स. P-11018/1/2021-यो व वि **दिनांक :24-07-2026**

सेवा मे,

क्षेत्रीय निदेशक/ The Regional Director,
क्षेत्रीय कार्यालय/ Regional Office,
5वीं मंजिल, एम.जी.एम. अस्पताल,/ 5th Floor, M.G.M. Hospital,
डॉ. एस.एस. राव रोड, परेल/ Dr. S.S. Rao Road, Parel,
मुंबई/ Mumbai-400 012.

विषय : सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के लागू होने के मद्देनजर महाराष्ट्र राज्य में शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थानों के कवरेज के संबंध में मार्गदर्शन मांगा गया है – के संबंध में।
Seeking guidance regarding Coverage of Educational & Medical Institutions in the State of Maharashtra in view of enforcement of the Code on Social Security, 2020.

महोदय/Sir,

उपरोक्त विषय पर अपने कार्यालय के पत्र संख्या 31/NSI/Educational-Medical Institute/2023/Coord. दिनांक 06.07.2026 के संदर्भ मे सूचित किया जाता है कि दिनांक 21.11.2025 से 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' (Code on Social Security, 2020) लागू होने की तिथि से इस संहिता की धारा 1(4) और पहली अनुसूची (First Schedule) के अनुसार बताए गए संस्थान इसके दायरे में आते हैं।साथ ही, धारा 29 के तहत योगदान (contribution) उस तारीख से देय होगा जिस तारीख से केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार अध्याय IV (Chapter IV) के तहत लाभ दिए जा रहे हैं।

Your kind attention is invited to your letter no. 31/NSI/Educational-Medical Institute/2023/Coord. dated 06.07.2026, on above mentioned subject. It is informed that after the implementation of the Code on Social Security, 2020 w.e.f. 21.11.2025, the Section 1(4) read with the First Schedule of the Code on Social Security, 2020 stipulates that establishments as specified therein are covered, and contribution under Section 29 becomes payable from the date on which benefits under Chapter IV are provided, as notified by the Central Government.

इस संबंध में, संस्थानों का कवरेज अब कोड की धारा 1(4) और पहली अनुसूची द्वारा संचालित है और इसके लिए किसी अलग अधिसूचना की आवश्यकता नहीं है। यह सूचित किया जाता है कि 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' के प्रावधान के अनुसार धारा 2 (29) में परिभाषित सभी "संस्थानों" (जिसमें राज्य के शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थान भी शामिल हैं) पर कोड लागू होने की तारीख, यानी 21.11.2025 से लागू होते हैं; और धारा 29 के तहत योगदान भी उसी तारीख से देय हो जाता है।

In this regard, the coverage of establishments is now governed by Section 1(4) read with the First Schedule of the Code and no separate notification is required. It is informed that the provisions of the Code on Social Security, 2020 are applicable on all the "establishments" as defined in Section 2(29) of Code, including the Educational and Medical Institutions in the State from the date of implementation of the Code i.e. 21.11.2025; and the contribution under Section 29 becomes payable from the same date.

Digitally signed by
Shailendra Kumar Mishra
Date: 24-07-2026
14:44:15

भवदीय,

शैलेंद्र कुमार मिश्र /Shailendra Kumar Mishra
उप निदेशक /Deputy Director (यो. एवं वि./P&D)

Copy to:

क्षेत्रीय निदेशक, क.रा.बी.नि. क्षेत्रीय कार्यालय, सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

Regional Director, ESIC Regional Office, All States/UTs, for information and necessary action at their end.